India Steel and Sugars Limited Mundiampakkam, South Arcot District;

- (b) if so, in what capacity;
- (c) whether it is a fact that an incriminating document purported to have been written by him to Shri Sanjay Gandhi regarding investments in foreign banks/concerns was discovered; and
- (d) if so, the results of the probe made, if any?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH):
(a) Yes, Sir. Shri M. A. Chidambaram has, however, resigned as Director and Chairman of M/s. Maruti Limited with effect from the 17th May, 1977.

- (b) Shri M. A. Chidambaram is also the Chairman of M/s. South India Steel and Sugars Limited, Mundiampakkam, South Arcot District.
- (c) No document purported to have been written by Shri Chidambaram to Shri Sanjay Gandhi regarding investments in foreign bank/concern was discovered during the search of the Maruti premises.
  - (d) Does not arise.

## Conversion of Adhyamankottai to Hosur Major District Road into National Highway

5015. SHRI V. PERIASAMY: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state whether Government propose to convert Adhyamankottai to Hosur major district road to a national highway in view of the heavy traffic on that road?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): No, Sir. We have not received any such proposal from the Govt. of Tamil Nadu nor does the Govt. of India have any such proposal under consideration.

## यद पर रहते हुए मरने वाले मंत्रियों के ग्राधितों को सहाबता

5016. भी राम नरेश कुशवाहा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार प्रधान मंत्री श्रीर उन मंत्रियों, जिनकी पद पर रहने हुए मृत्यु हो जाती है, के श्राश्रितों को रिहायसी श्रावास श्रीर वित्तीय सहायता उपलब्ध करती है;
- (ख) यदि हां, तो ऐसे आश्रितों के नाम क्या हैं जो सहायता प्राप्त कर रहे हैं और वे कितनी सहायता प्राप्त कर रहे हैं;
- (ग) क्या स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के ग्राश्रित भी यह सहायता प्राप्त कर रहे हैं;
- (घ) यदि हां, तो कितनी स्रौर किस अकार की सहायता प्राप्त कर रहे हैं; स्रौर
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं:?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): (क) से (ङ). सरकार ने ऐसे दो मामलों में पेंशन श्रीर रिहायशी श्रावास की स्वीकृति दी है। ये हैं:---

- (1) स्वर्गीय श्री लाल वहादुर शास्ती की विधवा को 11-1-1966 से 15,000 रु वार्षिक जीवन पर्यन्त पेन्शन निम्निलिखित सुविधात्रों के साथ स्वीकृत की गई।
  - (1) दिल्ली/नई दिल्ली में जनरल पूल में रिहायसी श्रावास का श्राबंटन जिसका किराया एफ श्रार 45-ए के श्रनुसार श्रथवा पेंशन का 10 प्रतिशत जोभी कम हो लिया जाना, तथा
  - (2) श्रीमती लिलता शास्त्री और उन के परिवार को केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना के ग्रधीन चिकित्सा उपचार सुविधाएं दिया जाना।